भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **1120**
रविवार, 20 सितम्बर, 2020/29 भाद्रपद, 1942 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन स्थलों के माध्यम से रोजगार सृजन

1120 श्री सम्भाजी छत्रपती:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यटन स्थलों पर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावना का जायजा लिया है और संसाधन के दोहन के लिए एक गम्भीरता से तैयारी शुरू कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो वे कौन से पर्यटक स्थल हैं जहाँ स्थानीय लोग सरकार द्वारा की गई पहल से वास्तव में लाभांवित हुए हैं; और

(ग) क्या सरकार के पास देश के प्रत्येक राज्य में उन नवीन पर्यटक स्थलों को चिह्नित करने की कोई योजना है जिन्हें आगामी तीन वर्षों में विशेष रूप से तैयार किए गए मास्टर प्लानों के आधार पर बुनियादी पर्यटन सुविधाओं के साथ संभावित पर्यटन स्थलों के रूप में प्रोत्साहित और विकसित किया जा सकता है?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) **(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)**

(क) और (ख): जी हां। पर्यटन मंत्रालय ने सात प्रतिष्ठित स्थलों अर्थात आगरा में ताजमहल, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, लाल किला, क़ुतुब मीनार, बिहार में महाबोधि मंदिर, गोवा में कोलवा बीच और असम में काजीरंगा में गंतव्य आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिसका उद्देश्य इन पर्यटन स्थलों एवं गंतव्यों के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करना, उनका उन्नयन करना और उन्हें जानकारी प्रदान करना है।

इस कार्यक्रम को वित्तीय वर्ष 2020-21 में 150 से अधिक नए गंतव्यो में जारी रखा गया है। राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग): पर्यटन स्थलों का विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। तथापि पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार स्वदेश दर्शन, प्रशाद तथा केंद्रीय एजेंसियों को सहायता नामक अपनी योजनाओं के अंतर्गत पर्यटको को बेहतर पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटन संबंधी अवसंरचना और सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों/केंद्रीय एजेंसियों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन योजनाओं के अंतर्गत विकास हेतु परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनो के परामर्श से की जाती है और निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रस्तुति, योजना दिशा निर्देशों के अनुपालन तथा पूर्व में जारी निधियों की उपयोगिता की शर्त पर उन्हें स्वीकृति प्रदान की जाती है।

****

अनुबंध

पर्यटन स्थलों के माध्यम से रोजगार सृजन के सम्बन्ध में दिनांक 20.09.2020 के राज्य सभा के अतारंकित प्रश्न संख्या 1120 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में **विवरण**

राज्य-वार गंतव्यों की संख्या जहाँ वित्तीय वर्ष 2020-21 में कौशल विकास गतिविधियां संचालित की जानी हैं		
क्र.सं.	**राज्य**	**स्थलों/ गंतव्यों की संख्या**
1	तमिलनाडु	6
2	उत्तर प्रदेश	9
3	कर्नाटक	6
4	आंध्र प्रदेश	7
5	महाराष्ट्र	9
6	तेलंगाना	5
7	पश्चिम बंगाल	5
8	मध्य प्रदेश	1 1
9	गुजरात	7
10	राजस्थान	7
1 1	पंजाब	5
12	उत्तराखंड	8
13	झारखंड	4
14	बिहार	4
15	दिल्ली	5
16	छत्तीसगढ़	4
17	जम्मू और कश्मीर	7
18	हिमाचल प्रदेश	7
19	केरल	4
20	ओडिशा	10
21	गोवा	2
22	असम	5
23	हरियाणा	5
24	सिक्किम	5
25	मेघालय	2
26	अरुणाचल प्रदेश	4
27	त्रिपुरा	3
28	मणिपुर	2
29	नागालैंड	2

30	मिजोरम	6
31	चंडीगढ़	2
32	पुदुच्चेरी	2
33	लद्दाख	5
34	दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	2
35	लक्षद्वीप	2
36	अंडमान और निकोबार द्वीप	4
	कुल	**183**

****